संख्या- 05 /2026/07/पांच-9-2026

प्रेषक,

अमित कुमार घोष,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) **समस्त निदेशक/प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका,**
उत्तर प्रदेश।

(2) **समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,**
उत्तर प्रदेश।

चिकित्सा अनुभाग-9 लखनऊ, दिनांक 13 जनवरी ,2026

विषय:-गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम, 1971 व पॉक्सो अधिनियम से संबंधित दिशा-निर्देश के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

अवगत कराना है कि स्वास्थ्य इकाईयों पर आने वाले यौन उत्पीड़न की उत्तरजीवी महिलाओं (सेक्सुअल एब्यूज सर्वाइवर) का उपचार किया जाता है। कतिपय मामलों में सेक्सुअल एब्यूज सर्वाइवर द्वारा स्वयं /उसके अभिभावकों/उसके संरक्षकों के साथ पुलिस में शिकायत किये बगैर या पुलिस में शिकायत के उपरान्त पुलिस द्वारा उपचार हेतु स्वास्थ्य इकाईयों में सम्पर्क किया जाता है।

2- गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम, 1971 व पॉक्सो अधिनियम से संबंधित मामलों में गर्भवती लड़कियों/महिलाओं के गर्भ समापन हेतु एक मानक संचालन प्रक्रियायें शासन के पत्रांक-72/2025/1632/पांच-9-2025 दिनांक 26 अगस्त 2025 के माध्यम से आपको प्रेषित किये गये हैं।

3- उक्त मामलों में आवश्यक है कि सेक्सुअल एब्यूज सर्वाइवर / महिला /बालिका को अनचाहे गर्भ का सामना न करना पड़े और यदि किन्हीं कारणोंवश वह गर्भवती हो चुकी है तो शीघ्रातिशीघ्र गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम, 1971 के अन्तर्गत सुरक्षित गर्भ समापन की सुविधायें प्रदान की जायें। ऐसे मामलों में घटना के साक्ष्य एकत्रित किये जाने के साथ-साथ अन्य विभागों/ एजेन्सियों (यथा महिला कल्याण विभाग वन स्टॉप सेन्टर आदि) से भी आवश्यकतानुसार समन्वय स्थापित किया जाये।

4- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त मानक संचालन प्रक्रियाओं (एस0ओ0पी0) के साथ ही संलग्न दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक:यथोक्त।

भवदीय,

(अमित कुमार घोष)
अपर मुख्य सचिव।

संख्याः-05 /2026/07(1)/पाँच-9-2026 तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, निर्माण भवन, नई दिल्ली।

(2) प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0 शासन।

(3) महानिदेशक, पुलिस, उत्तर प्रदेश को इस आशय से प्रेषित कि अपने स्तर से समस्त पुलिस कमिश्नर एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों से उक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करायें।

(4) मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।

(5) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

(6) समस्त जिला-मजिस्ट्रेट, उत्तर प्रदेश।

(7) महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश।

(8) महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश।

(9) महानिदेशक, परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।

(10) महानिदेशक, प्रशिक्षण, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।

(11) समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।

(12) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(**विनोद कुमार**)

विशेष सचिव।